बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)
॥ अधिसूचना ॥

/पटना–15, दिनांक 27/06/2024

संᵒसंᵒ–अᵒसांᵒनिᵒ/स्थाᵒ9–01/2023.......1033....................../भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली "सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम 1(i) का संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम –1 के उप–नियम–(i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"(i) यह नियमावली "अर्थ एवं सांख्यिकी लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007" कही जा सकेगी।"

3. **"सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम–2(iii) में संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–2 के उप–नियम–(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

2(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

4. **"सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम 2 (vii) में संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम –2 के उप–नियम–(vii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

"2 (iii) "निदेशालय" से अभिप्रेत है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

5. **"सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम–4 में संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–4 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

4. भर्त्ती का श्रोत (i)–संवर्ग के पदों की मूल कोटि (निम्न वर्गीय लिपिक) के अधिकृत बल का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पद सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जायेगी और ऐसी भर्त्ती लिखित परीक्षा पर आधारित आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(ii) सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) कुल सृजित पद का शेष 15% (पन्द्रह प्रतिशत) पद, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियमित स्थापना में कार्यरत इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) से वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्न वर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(iv) अधिकृत बल का शेष 10% (दस प्रतिशत) पद बिहार राज्य के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरे जायेंगे। राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली" के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत की जायेगी।

6. **"सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम–5(ii) में संशोधनः–** उक्त नियमावली के नियम–5 के उप–नियम–(ii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

"5(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या किसी अन्य बोर्ड/परीक्षा लेने वाली संस्था, जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से इन्टरमीडियट परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो।"

7. सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का विवरण अनुसूची–1 संलग्न है।

परन्तु राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन अथवा विलोपन कर सकेगी अथवा संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०9–01/2023 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ, योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०9–01/2023 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०9–01/2023 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०9–01/2023 1033 /पटना, दिनांक 27/06/2024

प्रतिलिपिः–आई०टी०प्रबंधक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/6/24

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(अनुसूची–1)

लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या का ब्यौराः–

पदनाम	वर्त्तमान पद
निम्नवर्गीय लिपिक वेतनमान 3050–4590 रू०	56
1. उच्च वर्गीय लिपिक–कोटि II वेतनमान 4000–6000रू० 2. प्रधान लिपिक कोटि I वेतनमान 4500–7000 रू०	38 9
कुल	**103**

कार्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरणः–

क्रमांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम	निम्न वर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	उच्च वर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	प्रधान लिपिक का स्वीकृत पद
1	1	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना	1	0	1
	2	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना	2	1	0
	3	जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालन्दा	1	1	0
	4	जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास	1	1	0
	5	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भभुआ	1	1	0
	6	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर	1	1	0
	7	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर	1	1	0
2	8	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया	1	0	1
	9	जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया	1	1	0
	10	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जहानाबाद	1	1	0

	11	जिला सांख्यिकी कार्यालय, अरवल	1	0	0
	12	जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा	1	1	0
	13	जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद	1	1	0
3	14	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	1	0	1
	15	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर	1	1	0
	16	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बाँका	1	0	0
4	17	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा	1	0	1
	18	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण	1	1	0
	19	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीवान	1	1	0
	20	जिला सांख्यिकी कार्यालय, गोपालगंज	1	1	0
5	21	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	1	0	1
	22	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर	1	1	0
	23	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीतामढ़ी	1	1	0
	24	जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर	1	0	0
	25	जिला सांख्यिकी कार्यालय, प०चम्पारण	1	1	0
	26	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पू०चम्पारण	1	1	0
	27	जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली	1	1	0
6	28	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	1	0	1
	29	जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा	1	1	0
	30	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी	1	1	0
	31	जिला सांख्यिकी कार्यालय, समस्तीपुर	1	1	0

7	32	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा	1	0	1
	33	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा	1	1	0
	34	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल	1	1	0
	35	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा	1	1	0
8	36	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	1	0	1
	37	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णिया	1	1	0
	38	जिला सांख्यिकी कार्यालय, अररिया	1	1	0
	39	जिला सांख्यिकी कार्यालय, किशनगंज	1	1	0
	40	जिला सांख्यिकी कार्यालय, कटिहार	1	1	0
9	41	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	1	0	1
	42	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर	1	1	0
	43	जिला सांख्यिकी कार्यालय, लखीसराय	1	0	0
	44	जिला सांख्यिकी कार्यालय, शेखपुरा	1	0	0
	45	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जमुई	1	1	0
	46	जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया	1	1	0
	47	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय	1	1	0
	48	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	8	5	0
		कुल –	56	38	09

09/1/24

(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना